Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 3, Issue 1 - 2018

वैश्वीकरण और सशक्तिकरण एक चुनौती

अभिषेक कुमार पाण्डेय*

मानव विकास का इतिहास इस बात का गवाह है कि किसी भी क्षेत्र में नारी एक ऐसी पहलु है, जिसके बिना किसी समाज की रचना सम्भव नहीं है। समाज में नारी एक उत्पादक की भूमिका निभाती है। नारी के बिना एक नये जीव की कल्पना नहीं कर सकते है। यह भारत की कुल आबादी का आधा भाग होती है फिर भी समाज में बैठे लोग हीन–दृष्टि से देखते है। आज के दौर में जितना पुरुषों का योगदान रहा है नयी तकनीकी को विकसित करनें में, महिलाओं ने भी उतना योगदान कंधे से कंधा मिलाकर दिया है। ऐसे में आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण महिला सशक्तीकरण को और बढ़ावा दे ताकि आज की नारी अबला न होकर सबला नागरिक बन सके और अपने अधिकारो के प्रति जागरूक हो सके।

वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है।

वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के सन्दर्भ में किया जाता है, अर्थात, व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण। वैश्वीकरण को प्राय: वैश्विक पश्चिमीकरण के रूप में देखा जाता है। इस विषय पर कई समर्थको एवं विरोधियों के बीच बहुत अधिक सहमति है। वैश्वीकरण को अच्छी दृष्टि से देखने वाले इसे विश्व के लिए पश्चिमी सभ्यता का अद्भुत योगदान मानते है। यूरोप में महत्वपूर्ण विकास का एक रोचक इतिहास है: सबसे पहले यहाँ पुनर्जागरण हुआ फिर यहाँ वह दार्शनिक लहर आई जिसमें मानव कल्याण का आधार विज्ञान और तर्क को माना गया, इसके बाद यहॉ औद्योगिक क्रॉति हुई। इन सब के परिणामस्वरूप पश्चिम में लोगों के रहन–सहन के स्तर में उल्लेखनीय बदलाव आया और अब पश्चिम की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इसका विस्तार पूरे विश्व मे हो रहा है। इस दृष्टिकोण से वैश्वीकरण पश्चिम की तरफ से पूरे विश्व के लिए उपहार के समान है। इतिहास की इन घटनाओं के समर्थक चिंतित हो जाते है यह देखकर कि इन महत्वपूर्ण उपहारों को न सिर्फ अभिशाप के तौर पर देखा जाता है बल्कि इसका अवमूल्यन भी किया जाता है और कृतघ्न संसार इसकी निन्दा भी करता है। इसके विपरीत परिप्रेक्ष्य में, इस पश्चिमी प्रभाव को कभी–कभी पश्चिमी साम्राज्यवाद के रूप में देखा जाता है, जो शांति का दुश्मन है। क्या वैश्वीकरण वास्तव में एक नया पश्चिमी अभिशाप है? यह वस्तुत: न तो नया है और न अनिवार्य रूप से पश्चिमी, न ही यह अभिशाप है।

*शोधार्थी, शिक्षक शिक्षा संकाय, नेहरु ग्राम भारती डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद।
Correspondence E-mail Id: editor@eurekajournals.com

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**

हजारो वर्षो के दौरान वैश्वीकरण ने पर्यटन, व्यापार, प्रवास, सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार, ज्ञान व आपसी समझ (जिसमे विज्ञान एवं तकनीक भी शामिल है) के प्रसार में पूरे विश्व की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया ळें।

तुलनात्मक रूप से यह प्रमाणित करने के लिए कि असमानता एवं लिंग आधारित भेदभाव वाली पारिवारिक व्यवस्था अनुचित है, कोई ये नही कह सकता कि महिलाए इनसे ज्यादा अच्छी स्थिति में होती यदि परिवार का अस्तित्व ही नहीं होता। बल्कि इसके लिए यह तर्क देना होगा कि लाभों का वितरण उस विशेष व्यवस्था में चिन्ताजनक रूप में असमान है। लिंग आधारित न्याय को स्पष्ट रूप से चिंताजनक विषय के रूप में सामने आने के पूर्व (हाल के दशकों मे यह सामने आया है) यह प्रयास हुए कि परिवारों में असमान व्यवस्था के मुद्दे को इस अधार पर समाप्त कर दिया जाए कि महिलाएं यदि व्यवस्था में असमानता पाती है तो उन्हे परिवार में रहने कि आवश्यकता नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि चूकि महिलाओं के साथ–साथ पुरूष भी परिवारों में रह कर लाभांवित होते है इसलिए यह व्यवस्था अनुचित नहीं हो सकती। लेकिन तब यह स्वीकार किया गया कि महिलाएं एवं पुरुष एक ही परिवार में साथ रह कर अलग–अलग तरह से लाभान्वित हो सकते हैं, तब वितरण का उचित अनुचित होने का सवाल मौजूद है।

विभिन्न पारिवारिक व्यवस्था पुरूष एवं महिलाओं दोनों के लिए लाभकारी होने की शर्तो को पूरी करेंगी, यदि इनकी तुलना किसी पारिवारिक व्यवस्था के नहीं होने से की जाए। लेकिन मुख्य चिंताजनक मुद्दा यह है कि तुलनात्मक व्यवस्था में लाभ का निष्पक्ष वितरण कैसे होता है?

एक बुनियादी, मुख्य मुद्दा है– वैश्वीकरण से होने वाले लाभ के वितरण का। वास्तव में यही कारण है कि बहुत सारे विश्व अर्थव्यवस्था से होने वाले लाभों से कमजोर वर्गो के लिए उनके उचित हिस्से की माँग करने वाले बहुतेरे वैश्वीकरण विरोधी अपने ही मतों एवं विचारों के विरुद्ध नही हैं। यह भी कि इस तथ्य में कोई वास्तविक विरोधाभास नहीं हैं। कथित वैश्वीकरण विरोध भी समकालीन विश्व में सबसे अधिक वैश्वीकृत घटना बन गया है।

प्राचीन काल से चली आ रही परम्परा के अनुसार जगत व्यापिनी, जगत माता के रूप में विख्यात अनेक रुपों में विद्यमान जो मनुष्य जीवन देने वाली नारी आज पूरे समाज में विकास की अवस्था प्राप्त करने के लिये समाज के लिये प्रयत्नशील रही है फिर भी एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र का इस विकास समाज से अछुता रहा है। भारत की आत्मा गाँवों में बसती है जो संस्कृति रीति रिवाजो व संस्कारों का वाहक बनी हुयी है फिर भी इस समाज में समाज के ठेकेदारों द्वारा हमारी भारतीय महिलाओं की दशा सोचनीय बनी हुयी है। सामाजिक दृष्टि से शक्ति का पर्याय नियन्त्रण, निर्देशन, रक्षा करने की क्षमता व किसी को सहारा प्रदान करने की क्षमता से लगाया जाता है। समाज में उसको शक्तिशाली माना जाता है जो स्वयं को एवं साथ वाले को उपर उठा सके और बिना सहारे के समाज में स्वयं को स्थापित कर सके।

सशक्तीकरण एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, मानसिक शारीरिक, भौतिक, नैतिक, शैक्षिक परिस्थितियों पर आधारित होता है जिसके लिये समाज में विशेषकर ग्रामीण परिवेश में आवश्यक कानून, सुरक्षात्मक व्यवस्था, सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ग्रामीण महिलाओं को अपना वर्चस्व

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

स्थापित करने में मदद मिले, और उनके लिए विकास का द्वार खुला हो, नया विकल्प सदैव तैयार रहे, भोजन, पानी, घर, शिक्षा, स्वास्थ सुविधाएँ, शिशुपालन, प्राकृतिक संसाधन, बैंकिंग सुविधाएँ कानुनी हक, परिवार में मुखिया का दर्जा मिल सके और लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति और परिवार व समाज में भूमिका के आधार पर निर्धारित सम्बन्धों को दर किनार करते हुए आत्म निर्भर बन सके।

माध्यमिक स्तर के एकल एवं संयुक्त परिवारों के विद्यार्थियों में समायोजन का अध्ययन वर्तमान भारतीय समाज में परिवार महत्वपूर्ण स्थान रखते है। आज का बालक कल के समाज का भावी नागरिक है। जो बालक नवीन वातावरण से अपना समायोजन नहीं कर पाते उसका व्यवहार नैराष्य के कारण असामान्य हो जाता है। ऐसे बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्वस्थ कहे जा सकते हैं, और ऐसे बालकों को विभिन्न क्षेत्रों के समान ही षिक्षा के क्षेत्रों में भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रस्थिति रखने वाले वर्ग पाये जाते है। प्रस्थितियो के उतार चढाव का क्रम चलता रहता है और इसी आधार पर विभिन्न वर्गों का निर्माण होता है।

आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं के श्रम को सीधे उत्पादन से जोड़ा जाए। उसका उत्पादन से सीधा संबंध सुनिश्चित नहीं होता जबकि परोक्ष रूप से उसका श्रम उत्पादन में सहायक होता है। इसी करण से पुरुष विशिष्ट हो गए और औरत महत्वहीन रह गई। वैश्वीकरण एक तरह से आर्थिक सीमाओं का समापन है। विभिन्न देशों में नई आर्थिक नीतियों से वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ा है। 1991 में भारत में जो नई औद्योगिक नीति आई उसके निजीकरण, उदारीकरण व वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण से जनता के विविध क्षेत्र प्रभावित हुए हैं जो जीवन से जुड़े हैं। वैश्वीकरण के शिकार वे विकाससोन्मुख देश हैं, जो ऋण के बोझ तले दबे हैं। वैश्विक व्यवस्था में बढ़ती आय विभिन्नता व असमानता ने गरीबों को असहाय बना दिया है। महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। मानव विकास विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण ने विकास एवं सुधार की तुलना में महिलाओं का पतन ही किया है। उदाहरण के लिए विश्व मे भारत मे लिग अनुपात पर एक महिला स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का उपयोग कर पाती है। ज्यादातर महिलाएं असंगठित संस्थाओं में काम करती हैं और नियमहीनता के चलते शोषण का शिकार होती हैं। पितृसत्तात्मक समाज ने महिलाओं पर घातक प्रभाव डाले हैं। महिलाओं का इस व्यवस्था में सदियों से शोषण होता आ रहा है। इसके अलावा कार्य करती हुई महिलाओं का जीवन स्तर पूरी तरह खराब पोषाहार व स्वास्थ्य में गिरावट के कारण प्रभावित हुआ है। इस तरह महिलाएं दोहरी शोषण का शिकार हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्ताव दिए हैं। जैसे स्त्री–पुरुष के लिए समान कार्य, समान वेतन कानून का प्रावधान किया जाए। महिलाओ को ससाधनो, रोजगार, बाजार एवं व्यापार सूचना व टेक्नोलॉजी में बराबरी का हिस्सा मिले। कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न एवं अन्य तरह के भेदभाव को दूर किया जाए। गरीब महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान किया जाए–कम खर्चे के घर, भूमि, प्राकृतिक संसाधन उधार एवं अन्य सेवाएं दी जाएं। पर्यावरण संबंधी नीतियों के निर्माण में औरतों को शामिल किया जाए। औरतों के विकास की जिम्मेदारी सरकार में ऊंचे स्तर पर सौंपी जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वेक्षण के

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

अनुसार हमारे देश में हर वर्ष डेढ़ करोड़ लड़कियां जन्म लेती हैं जिनमें पच्चीस लाख, 15 वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाती हैं। इन लड़कियों की मौत का कारण समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव का व्यवहार है। वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा उद्योगों में विदेशी विनियोग में वृध्दि तो होती है, पर रोजगार में वृध्दि नहीं होती। उदाहरण के लिए महिलाओं की बेरोजगारी 1991–91 में 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 1995–94 में 5.5 प्रतिशत हो गई थी, जो आज भी जारी है। अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था असंगठित क्षेत्र में की गई जहां रोजगार में असुरक्षित होना तथा निम् मजदूरी देना तय है। उद्योग धंधों में महिला श्रमिकों की मांग श्रम की कार्यक्षमता और कार्य की आवश्यकता के अनुकूल की जाती है। इससे स्पष्ट है कि महिला कर्मियों के रोजगार में स्थायित्व नहीं होता। महिला श्रमिकों को कम मजदूरी के साथ वांछित अधिकारों से भी वंचित होना पड़ता है। महिलाओं के घरेलू कार्यों को कार्य की श्रेणी में नहीं माना जाता है। महिलाओं के कार्य को कार्य की संज्ञा तभी दी जाती है। जब वे बाहर जाकर कुछ कार्य करती हो व उसके बदले धन पाती हों। सामान्य प्राकृतिक स्रोतों का निजीकरण पर्यावरण के लगातार ह्रास के लिए जिम्मेदार है, साथ ही ऐसी महिलाओं को जीवन की आवश्यकताओं को भी जुटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय प्राकृतिक स्रोतों का वैश्विक शोषण के लिए मुक्त कर देना कई चुनौतियों को खड़ा कर रहा है। उपभोक्तावाद, हिंसा तथा स्वच्छंद यौन व्यवहार आदि का समाज व महिलाओं पर घातक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं पर बढ़ती हुई घरेलू हिंसा भी चिंतनीय है। महिलाओं के प्रति यौन अपराध उनकी स्थिति को और भयानक बना रहा है। गृह मंत्रालय के क्राइम रिकार्ड ब्यूरो को यदि सच माना जाए तो प्रत्येक 47 मिनट पर महिलाओं के साथ बलात्कार होता है या अपहरण होता है। पति या निकट संबंधी द्वारा महिलाओं की हत्या या यौन शोषण होना आम बात हो गई है। दहेज के कारण 17 महिलाएं रोज मरती हैं। बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, बावजूद महिलाओं का अवमूल्यन करता है। इस तरह वैश्वीकरण जहां विकासशील देशों के विकास को सुनिश्चित करता हैं, वहीं समाज की आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को अधिक उत्पीड़ित करने का प्रयास करता है। इससे महिलाओं का निरंतर ह्रास तथा उत्पीड़न हुआ है। आज के उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर के चलते भारत मे अपनी जड़े जमा चुका है। अपभोक्ता वाद हमारे समाज मे फैले प्रत्येक चिजो के उपभोग करने की लालसा हरएक के व्यक्ति के अंदर पैदा करती है, उस वस्तु को सही तरीके से बाजार मे स्थापित करना उसकी पहली जरुरत है उस वस्तु को बाजार मे बेचने वाले अनेको लोग तो मिल ही जाएंगे लेकिन मानव मस्तिष्क मे उस वस्तु की एक गहरी छाप स्थापित करने के लिए उस वस्तु को तरह–तरह से प्रचारित किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश की मजबूत अर्थव्यवस्था मे उपभोक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण अवश्य है, लेकिन इधर हाल के वर्षो से इसने भारतीय संस्कृति के जड़ तक पहुंच कर मानवता और मानविक मूल्यों के नैतिकता पर कुठारा घात करके व्यक्तियों को उपभोक्ताओं की तरह प्रचारित किया जाने लगा इस परिपेक्ष्य मे जो हर उस चिज का उपयोग करने के लिए व्यक्ति प्रयासरत रहता है जिसे उत्पादित किया जा सकता है, केवल व्यक्ति को उस चिज की जरुरत होने का अहसास भर करा देने की आवश्यक्ता है।

सच तो यह है कि महिला सशक्तिकरण की कल्पना करना उस मुराद की तरह है जिसकी पूरी होने की उम्मीद बहुत कम नज़र आती है क्योंकि हम क्या चाहते हैं?

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

यह अब तक तय नही कर पाये हैं. जब तक इंसान अपने मनोरंजन के लिए विपरीत लिंगों का इस्तेमाल करने की मानसिकता नही बदलेगा तब तक औरते यू ही जुल्म का शिकार होती रहेंगी और हज़ारों वर्षों की ये सोच बिना किसी मजबूत इरादे के नहीं बदलने वाली. इस पुरुष प्रधान समाज में वह घुट–घुट कर जीने को मजबूर होगी क्योंकि वो महिलाएं जो कालांतर में इस सामाजिकता में ढल चुकी हैं, इसकी वकालत भी करेंगी. आज भी महिलाएं पुरुषों के आगे घुटने टेकने को मजबूर है. यही उनका धर्म बन चुका है. हर कदम पर उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि उसे अपनी हद में रहना चाहिए. और यह हद तय करने का जिम्मा ले रखा है समाज के उन ठेकेदारों ने, जो इस दमन के अधिनायक हैं.

भारत में महिलाओं को कानुनन ये सभी अधिकार प्राप्त है पर व्यवहार में अनेक विसंगतियाँ है जिन्होंने महिलाओं की सोच मे क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया। सन् 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का भारत में उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमन्त्री इंन्दिरा गाँधी ने 16 फरवरी को नई दिल्ली में महिला दिवस पर कहा "ऐसा कोई काम नहीं जिसे महिलाएँ पुरूषों के साथ कंधो से कंधा मिलाकर नहीं कर सकती।" आज पुरे विश्व में देखा जाय तो महिलाओं को सांस्कृतिक स्तर से ज्यादा सामाजिक स्तर पर शोषण होता है परम्पराओं को ध्यान से देखा जाय तो रुढ़िवादिता आज से 100 साल पहले से चली आ रही है जिसको खत्म करने के लिये कई प्रावधान किये गये।

महात्मा गाँधी का सपना था कि हमारा भारत स्वच्छ एवं साफ सुथरा भारत बने और उसी पर प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के नाम से योजना 2 अक्टुबर 2014 को नई दिल्ली बाल्मिकी बस्ती से प्रारम्भ की। वास्तव में यह योजना 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वास्थ कार्यक्रम के नाम से प्रारम्भ किया गया था जिसे सन् 1999 मे सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कर दिया गया। वर्ष 2012 में इसका पुनः नामकरण निर्मल भारत अभियान कहा गया और इसी निर्मल भारत अभियान को 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का नाम दे दिया गया। वास्तव में मोदी के अभियान का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र को महिलाओं स्वच्छ अभियान से अवगत कराकर एक स्वच्छ समाज बनाना है।

स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत 2019 तक 9 करोड़ 80 लाख यानी प्रति मिनट 46 सौंचालय बनाने हैं। इसके लिये बड़े पैमाने पर सामूदायिक स्थलों पर शौचालयों का निर्माण करना है और मैला ढोने की प्रथा को हतोत्साहित करना। साथ ही नगरपालिका में ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन प्रक्रिया को आधूनिक तथा वैज्ञानिक बनाना स्वच्छता क्षेत्र मे निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना स्वच्छता को लेकर जागरूकता का प्रसार करना और लोगो के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है।

ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिये भिन्न–भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत महात्मा ज्योतिबा फूले ने पूना में 1848 में प्रथम बालिका पाठशाला की स्थापना की थी और उन्होंने पाठशाला में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले का अध्यापिका बनाया था। फिर तो साल दर साल बालिका विद्यालय की संख्या बहती गयी। फिर 5 जनवरी 1988 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लागु किया जिसका लक्ष्य उन महिलाओं को साक्षर बनाना था जिन्होंने कभी स्कूल का दरवाजा भी नहीं खोला और ना ही कापी किताब। फिर भी वह महिलाओ को अपनी संस्था के प्रति आकर्षित नहीं कर पा रही थी। क्योंकि साक्षता केन्द्र तक आना–जाना उनके लिये

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

कठीन हो रहा था। इस समस्या से समाधान प्राप्त करने के लिये पोदूकोठी के जिलाधिकारी ने एक पहल कि यदि महिलाओं को साईकिल चलाने का प्रशिक्षण प्रदान करे और सभी महिलाओं को एक–एक साईकिल प्रदान करे तो ये बालिका सायद स्कूल आना प्रारम्भ कर दे तनी जिलाधिकारी सुक्षी शीला रानी चुकाय के विचार को सुश्री कन्नाम्मल का साथ प्राप्त हुआ। ये इंश्योरेंस कम्पनी की नौकरी छोड़कर इस अभियान से जुड़ गये और इस योजना से जनवरी 1989 तक करीब 2.50 लाख महिला इस अभियान से जुड़ गये। 1.70 हजार महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की और 1 लाख महिलाओं ने साईकिल चलाना सीख लिया।

साईकिलिंग और शिक्षा के इस अभियान से महिलाओं को दैनिक वेतन में 1 हजार की वृद्धि कर दी गयी। इसका प्रभाव झारखंड सरकार को भी पड़ा और उसने जो कि स्कूल और बालिकाओं को जोड़ने के लिये "बालिका साईकिल योजना" का गठन कर दिया और स्कूल के हर महिला वर्ग को स्कूल आने जाने के लिये एक–एक साईकिल बाटना जरूरी कर दिया। जिसका प्रभाव सिमडेगा एक नक्सली प्रभावित जिला में देखने को मिला। जब वहा गये तो सुबह–सुबह साईकिल की घटियो की आवाज एव रगविरगी स्कूली पोशाक में, जिन्हें देखकर, एक स्कूली पोशाक मे अचम्भित हो जायेगे कि कही ये नक्सलीयों का झुण्ड तो नहीं, पर ये तो ग्रामीण क्षेत्र की बालिका ये है जो स्कूलो को जा ही है। इसके बाद झारखण्ड से प्रभावित होकर बिहार मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश ने अलग– अलग नामो से योजनाओं की शुरूआत की जैसे पंजाब ने "माई भागो विद्या योजना" छत्तीसगढ़ ने "साईकिल सहायता योजना" उत्तर प्रदेश सरकार ने "ज्योतिब फूले बाई योजना" को चलाया।

अभी हाल ही में एक घटना जापान की प्राप्त हुयी कि जापान में एक गाँव होकाइदो की एक बालिका को स्कूल जाने के लिये सरकार की एक स्पेशल ट्रेन चलवायी गयी और यह ट्रेन उसी बच्ची को स्कूल के टाइन से घर से लेती और स्कूल छोड़ती फिर स्कूल से लेकर घर तक छोड़ती।

आज हमारे गाँवों की लड़कियों को स्कूली शिक्षा देने में मीडिया ने जो अहम भूमिका निभाई उसी का परिणाम है कि आज के समय हर गाँवों के स्कूल में पढ़ने वाली छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ड्रापआउट की संख्या से निजात मिल रही है। ऐसा नहीं कि सभी सरकारे इस योजनाओं का विरोध नहीं कर रहे है। इस योजना से हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की नारी भी शिक्षित हो रही है और महिला सशक्तीकरण बढ़ावा मिल रहा है। मास मीडिया की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के प्रति योगदान कम नहीं रहा है उन्हीं का देन है कि आज की महिलाये अपने समाज में एक नया स्थान प्राप्त करने में सक्षम रही है। शिक्षा का विकास एवं स्थानीय, संस्थाओं का मजबूतीकरण तथा श्रव्य–दृश्य माध्यमों जैसे चलचित्र टी.वी. रेडियो आदि ने महिलाओं के अन्दर अपने व्यक्तित्व एवं परिवार में दयित्व के प्रति जागरूकता पैदा की है। मीडिया ने आज की महिलाओ को जागृत कर देश में सुधार लाने के लिये प्रेरित किया है। आज के हर महिला को अपनी योजना और समाधान बनाने का अवसर देता है जो किसी सामाजिक समस्या में सुधार ला सके।

आज ऐसे डिजिटल भारत की क्रान्ति की जरूरत पडी जो हमारे गाँवों की महिलाओं

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

को एक सशक्त महिला बनाने में योगदान दे रहा है। डिजिटल भारत एक ऐसी क्रान्ति है जो बिना किसी सीमा को जाने–पहचाने लोगों को सूचना का अधिकार पहुँचाती है। इसका मुख्य रूप से गांवो को इंटरनेट प्रदत्त बनाने के लिये प्रकल्पित है।

भारत की 2011 की जनगणना की रिपोर्ट में यह बात उभर कर आयी कि छः से आठ वर्ष की उम्र के बीस प्रतिशत बच्चों को शब्द एवं संख्याओं का ज्ञान नहीं था। "गली–गली सिम–सिम" नामक एक अनुठे पहल के अन्तर्गत बिहार एवं दिल्ली के कुछ स्कूलों में बच्चों को "फन एण्ड लर्न" एप्लिकेशन से उत्साहपरक परिणाम प्राप्त हुए। डिजिटल भारत की संकल्पना का प्रभाव आज से महिला सशक्तीकरण की पहल के तौर पर देख रहे है। इसके द्वारा गाँवों, घर की महिलाओं और बच्चों जो कि अब तक समस्याओं से जुझती आयी, उनकी प्रारम्भिक शिक्षा–दीक्षा से लेकर उनके खान पान तक के मुद्दे पर जागरूक बनाया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश में महिलाओं को राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक विकास में बराबर की भागीदारी के अवसर प्रदान के उद्देश्यों को लेकर "राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति 2001" की घोषणा की जिसका निम्न उद्देश्य है।

- वर्तमान कानून में संशोधन द्वारा नारी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील तथा घरेलु हिंसा या वैयक्तिक आक्रमण की रोकथाम के लिये नवीन कानूनों का निर्माण एवं अपराधियों के लिये उचित दण्ड की व्यवस्था की जायेगी।
- महिलाओं के साथ भेदभाव समाप्ति हेतु धार्मिक नेताओं एवं पणधारियों की पूर्ण भागीदारी एवं पहल पर विवाह तलाक अनुक्षण तथा अभिभावक जैसे व्यक्तिक कानुनो में परिवर्तन किया जाये।
- महिलाओं के शिक्षा हेतु विशेष नियम लागु किये जाय ताकि उनकी शिक्षा स्तर एवं अनुकूल शिक्षा प्राप्त हो सके।

महिलाओं के शिक्षा को विशेष रूप से अनिवार्य बनाने तथा उनके कल्याण और विकास के लिये इस विधेयक को पास किया गया जिससे विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त होने की सम्भावना बढ गयी।

शोधकर्ता द्वारा ग्रामीण महिला सशक्ती करण पर सर्वेक्षण रिपोर्ट

हमने महिला सशक्तीकरण पर ग्राम कतवारुपुर जनपद व जिला इलाहाबाद के अन्तर्गत ग्राम प्रवास शोध कार्यक्रम के अन्तर्गत वहाँ की महिलाओं की शिक्षा दिक्षा व उनके प्रति समाज में क्या मनोदशा है जानने का प्रयास किया। इसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारे शोध ग्राम प्रवास निर्देशक डा॰ ज्ञानेश द्विवेदी को शुक्र–गुजार करते हैं कि उन्होंने ग्राम प्रवास के अन्तर्गत हमे महिला सशक्तीकरण पर कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने का अवसर प्रदान किये। जब हम शोधार्थी लोग कतवारु गाँव के प्राथमिक विद्यालय पर पहुँचे तो हमने जाना कि उस गाँव में चार वर्षो से चल रही प्रधान परम्परा को लोगों ने खत्म कर महिला प्रधान का बड़े ही हृदय मन से स्वागत किया और प्रथम बार एक महिला प्रधान का चुनाव किया जो कि यह सरकार की योजना के अन्तर्गत आता है। प्राथगिक विद्यालय की प्रधानाचार्य गंगला प्रराद यादव ने बताया कि इस ग्रामीण क्षेत्र से हमारे स्कूल में 183 छात्र है जिसमें कि लगभग 90 छात्रायें हैं जो कि इस ग्रामीण परिवेश की सबसे निम्नतम वर्ग से आते हैं उस 90 छात्राओं में प्रत्येक दिन औसतम 65 छात्राये आ जाती है, अध्ययन करने जिसमें से एक छात्रा का इस वर्ष मण्डल

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

स्तर प्रतियोगी परीक्षा में चयन किया गया और तो और उस प्राथमिक विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य की बच्ची भी मण्डल स्कूल में पढ़ती है जो कि 5वीं से लगातार 7वीं कक्षा तक प्रथम श्रेणी से पास की।

उसी तरह हमने उसी ग्राम के एक परिवार के यहाँ जाकर उनके पारिवारिक स्थिति का अवलोकन किया तो हमे पता चला कि उस परिवार का मुखिया एक आटोचालक है जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। और उसकी 2 बेटी व एक बेटा है। मुखीया राजेश पाण्डेय की प्रथम बेटी 18 साल की है जो कि बी॰ए॰ प्रथम वर्ष नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश ली है और द्वितीय बेटी उसी क्षेत्र के जुनियर हाईस्कूल में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शिक्षा ग्रहण कर रही है। उस परिवार को सरकार द्वारा फूल बाई योजना जैसी सुविधायें भी प्राप्त हो रही है।

अतः वैश्वीकरण और सशक्तीकरण में सरकारी योजनाएँ अच्छी भूमिका निभा रही है। जिसमें मीडिया का सर्वाधिक योगदान रहा है, जिससे उनके शैक्षिक उपलब्धि पर अच्छा प्रभाव पढ़ रहा है ये छात्राएं अपने आप को हर परिस्थिति में ढलने का प्रयास कर रही है आज दूर दूर से छात्राए विद्यालयों में पढ़ने को आ रही है इसका कारण सिर्फ मात्र सशक्तिकरण और आज के बदलते वश्वीकरण के परिवेश.। आज के समाज में हमें जरूरत है कि हम अपने समाज को स्वच्छ सुन्दर व सशक्त महिला समाज के रूप में बनाये ताकि हमारा समाज जो कि अन्ध विश्वासों के राह पर चल रहा है। यह तभी सम्भव होगा जब हम अपने सोच बदले। अपने विचारों में परिवर्तन लाये और मीडिया को एक ऐसा नेटवर्क जैसे फेसबुक सोशल मिडिया तैयार करे जो कि हर घर की महिलाओं को जो ग्रामीण परिवेश में रहती हैं, शिक्षा प्रदान कि जाये। इसके लिये सरकारी योजनाओं के प्रति हमें ग्रामीण महिलाओं का जागरूक करना होगा और यदि जागरूकता आ गयी तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे भारत के ग्रामीण महिलाओ को किसी भी योजना का सहारा लेना पड़े।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

[1]. प्रकाश नारायण ताटाजी एवं ज्योति गौतम, लिंग एवं समाज, प्रकाशन– रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर पेज॰–49.
[2]. कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास को समर्पित (फरवरी 2016), प्रकाशक–पेज नं॰ 35, 20.
[3]. प्रतिभा रिसर्च जर्नल ऑफ हयूमनीटीस Oct - Dec, 15. Editor Prabudh Mishra, Year 7 - Volume 4, Part 29 - Page No. - 105.
[4]. महिला शक्ति सम्पन्नकरण :चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ पर निबन्ध, Prikanya/ Categary : women.

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501